उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,

संख्या-22/2634/92-2014-23जॉच/2014

लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

विधान परिषद स्नातक/शिक्षक निर्वाचन, 2014 तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न किये जाने तथा निर्वाचन डियूटी से अनुपस्थित रहने, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से अनुमति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय से बाहर रहने, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग न करने, लोहिया ग्रामों के कार्यो की प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार भ्रमण कर आख्या न देने एवं बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ देने, तहसील दिवस में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने, लोहिया ग्रामों में निर्मित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन की गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण न रखने, लोहिया ग्रामों में अधोमानक कार्य कराये जाने एवं विधायक निधि के अन्तर्गत निर्मित कार्यो की गुणवत्ता अत्यन्त खराब पाये जाने व निर्माण कार्यो में शिथिल नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने के प्रथम दृष्टया दोषी श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निलम्बन की अवधि में श्री नरेन्द्र कुमार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्व रहेंगे।

2- श्री नरेन्द्र कुमार के विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र पृथक से निर्गत किया जा रहा है, जिसे जांच अधिकारी द्वारा उन्हें यथा नियम उपलब्ध कराया जायेगा।

3- निलम्बन की अवधि में श्री नरेन्द्र कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ववेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय

http://shasnadesh.up.nic.in

वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

4- उपयुक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब श्री नरेन्द्र कुमार इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

डा0 सूर्य प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-22/2634(1)/92-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को उनके पत्र दिनांक 07-4-14, 16-6-14, 03-6-14, 05-6-14 एवं 22-7-14 के क्रम में।

3- जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ।

4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- सम्बन्धित कोषाधिकारी, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अखिलेश अग्निहोत्री
उप सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in